मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय–भोपाल

क्रमांक :1954/2018/17/मेडि–1 भोपाल, दिनांक 5 .04.2018

प्रति,

डॉ. श्रीमती पुष्पा धुर्वे
स्त्री रोग विशेषज्ञ,
जिला चिकित्सालय,
बालाघाट (म.प्र.)

विषयः– कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित अधिकारी के विरूद्ध विभागीय जांच– डॉ. श्रीमती पुष्पा धुर्वे, स्त्री रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय, बालाघाट (म.प्र.)

–00–

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता हैं कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम–1966 के अन्तर्गत आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का प्रस्ताव है। जिसका उल्लेख संलग्न आरोप–पत्र में दिया गया है। अभिकथन जिस पर आरोप आधारित हैं, उसका विवरण संलग्न अभिकथन पत्र में दिया गया है। आरोप पत्र, अभिकथन पत्र की प्रति संलग्न है। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड़ पर चस्पा की गई है ।

2. आपसे इस सूचना के द्वारा यह अपेक्षा की जाती हैं कि आप इस पत्र के मिलने के 15 दिवस के अंदर अपना प्रतिवाद उत्तर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजते हुए बतायें कि :–

(अ) क्या आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहती हैं ?

(ब) यदि आप अपने बचाव पक्ष में किसी गवाह आदि का नाम देना चाहती हैं तो उन गवाहों की सूची पूर्ण पते सहित भेजें।

(स) यदि आप अपने बचाव पक्ष में किन्हीं अभिलेखों को प्रस्तुत करना चाहती हैं तो उन अभिलेखों की सूची विस्तृत जानकारी के साथ प्रस्तुत करें।

(द) यदि आप आरोप–पत्र आदि के साथ संलग्न अभिलेखों की सूची में दर्शित अभिलेखों को देखना चाहती हैं तो आप किसी भी कार्य दिवस में देखें। यह कार्य पत्र के प्राप्त होने के 10 दिवस के अंदर समाप्त कर दिया जाये ।

3. आपको यह भी सूचित किया जाता हैं कि यदि आपके बचाव पक्ष का लिखित प्रतिवाद उत्तर नियत समयावधि अर्थात् 15 दिवस में प्राप्त नहीं होता है तो आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न :– आरोप–पत्र, अभिकथन पत्र,
अभिलेखों की सूची ।

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

पृ. क्रमांक :1954/2018/17/मेडि–1 भोपाल, दिनांक 5 .03.2018

प्रतिलिपिः–

(1) सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय, बालाघाट कीं ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि डॉ. श्रीमती पुष्पा धुर्वे, स्त्री रोग विशेषज्ञ को उनके अंतिम पदस्थापना स्थल अथवा सेवा अभिलेख में उपलब्ध निवास के पते पर तामील करायें। यदि पत्र की व्यक्तिगत तामिली संभव न हो सके तो इसे अंतिम पदस्थापना स्थल या स्थाई निवास स्थल पर चस्पा कर तामिली करायें तथा तामिली प्रतिवेदन संलग्न पत्रक अनुसार अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

:: आरोप–पत्र ::

डॉ. श्रीमती पुष्पा धुर्वे, स्त्री रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय, बालाघाट के विरूद्ध मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 14 (3) के अंतर्गत निम्न आरोप अधिरोपित किए जाते हैं :–

आरोप कमांक –1

यह कि आप डॉ. श्रीमती पुष्पा धुर्वे दिनांक 07.10.2017 से निरंतर बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पायी गयी।

आरोप कमांक –2

यह कि आप अपने पदस्थापना स्थल पर नियमित एवं निर्धारित समय पर उपस्थित नहीं होती है।

इस प्रकार आप अपने पदीय दायित्वों का उचित प्रकार निर्वहन न कर मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम (1) (i),(ii),(iii) तथा नियम 7 का उल्लंघन कर अपने कार्य के प्रति कर्तव्य परायण एवं संनिष्ठ नहीं रहते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गयी है।

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

:: अभिकथन पत्र ::

डॉ. श्रीमती पुष्पा धुर्वे, स्त्री रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय, बालाघाट, मध्य प्रदेश के विरूद्ध मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 14 (3) लगाए गए आरोपों के समर्थन में विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है :–

आरोप कमांक 1 के लिये :–

सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला बालाघाट के पत्र क्रमांक/स्था./2018/471, दिनांक 24.03.2018 अनुसार आप दिनांक 07.10.2017 से निरंतर बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हो गयी है। आपका यह कृत्य शासकीय सेवक के लिए निर्धारित आचरण के अनुरूप न होकर दुराचरण की श्रेणी में आता है।

आरोप कमांक 2 के लिये :–

आपकी पदस्थापना जिला चिकित्सालय, बालाघाट में आम जनता को उचित सेवाऐं उपलब्ध कराने के लिये करते हुए आपसे यह अपेक्षा की गई थी कि आप अपने कर्तव्य स्थल पर नियमित एवं समय पर उपस्थित होकर अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन करेंगी, परन्तु आप दिनांक 07.10.2017 से निरंतर अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पायी गयी।

इस प्रकार आपका उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 उपनियम (1) (i),(ii),(iii) तथा सहपठित नियम 7 के अनुरूप न होकर दुराचरण की श्रेणी में आता हैं। इस प्रकार आपने उक्त नियमों का पालन न कर अपने कार्य के प्रति संनिष्ठ एवं कर्तव्यपरायण न रहते हुए अपने आपको अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बना लिया है।

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

:: अभिलेखों की सूची ::

1. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला बालाघाट की ओर उनके पत्र क्रमांक/स्था./2018/471 दिनांक 24.03.2018 के संदर्भ में।

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

तामीली प्रतिवेदन

कार्यालय, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से प्राप्त सूचना पत्र कमांक .... दिनांक .... जो लम्बी अवधि से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित डॉ. श्रीमती पुष्पा धुर्वे, स्त्री रोग विशेषज्ञ को जारी किया गया है, की प्रति जिला चिकित्सालय, बालाघाट के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई ।

साक्षीगणः

1. ....

....

....

(कार्या. प्रभारी के हस्ता एवं नाम)

जिला ....

2. ....

तामीली प्रतिवेदन

जिला चिकित्सालय, बालाघाट, मध्य प्रदेश से लम्बी अवधि से अवैधानिक रूप से अनुपस्थित रहने बाबत् सूचना पत्र क्रमांक .... दिनांक.......................... डॉ. श्रीमती पुष्पा धुर्वे, स्त्री रोग विशेषज्ञ के अवासीय पते पर निम्न गवाहों के समक्ष तामील करवाया गया /मकान पर चस्पा किया गया ।

---

1. ....

गवाह का नाम व हस्ताक्षर (व्यक्तिगत तामीली की दशा में प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर)

2. ....

गवाह का नाम व हस्ताक्षर

....

(व्यक्तिगत तामीली करवाने वाले /चस्पा करने वाले के हस्ताक्षर)

3. ....

गवाह का नाम व हस्ताक्षर

4. ....

गवाह का नाम व हस्ताक्षर

5. ....

गवाह का नाम व हस्ताक्षर

प्रतिहस्ताक्षरित

....

(कार्या. प्रभारी के हस्ताक्षर)

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय–भोपाल

क्रमांक :19-45/2018/17/मेडि–1 भोपाल, दिनांक 26.03.2018

प्रति,

डॉ. शीनू सलूजा
चिकित्सा अधिकारी,
रानी दुर्गावती चिकित्सालय,
जबलपुर (म.प्र.)

विषयः– कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित अधिकारी के विरूद्ध विभागीय जांच– डॉ. शीनू सलूजा, चिकित्सा अधिकारी, रानी दुर्गावती चिकित्सालय, जबलपुर (म.प्र.)

–00–

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता हैं कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम–1966 के अन्तर्गत आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का प्रस्ताव है। जिसका उल्लेख संलग्न आरोप–पत्र में दिया गया है। अभिकथन जिस पर आरोप आधारित हैं, उसका विवरण संलग्न अभिकथन पत्र में दिया गया है। आरोप पत्र, अभिकथन पत्र की प्रति संलग्न है। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई है ।

2. आपसे इस सूचना के द्वारा यह अपेक्षा की जाती हैं कि आप इस पत्र के मिलने के 15 दिवस के अंदर अपना प्रतिवाद उत्तर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजते हुए बतायें कि :–

(अ) क्या आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहती हैं ?

(ब) यदि आप अपने बचाव पक्ष में किसी गवाह आदि का नाम देना चाहती हैं तो उन गवाहों की सूची पूर्ण पते सहित भेजें।

(स) यदि आप अपने बचाव पक्ष में किन्हीं अभिलेखों को प्रस्तुत करना चाहती हैं तो उन अभिलेखों की सूची विस्तृत जानकारी के साथ प्रस्तुत करें।

(द) यदि आप आरोप–पत्र आदि के साथ संलग्न अभिलेखों की सूची में दर्शित अभिलेखों को देखना चाहती हैं तो आप किसी भी कार्य दिवस में देखें। यह कार्य पत्र के प्राप्त होने के 10 दिवस के अंदर समाप्त कर दिया जाये ।

3. आपको यह भी सूचित किया जाता हैं कि यदि आपके बचाव पक्ष का लिखित प्रतिवाद उत्तर नियत समयावधि अर्थात् 15 दिवस में प्राप्त नहीं होता है तो आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न :– आरोप–पत्र, अभिकथन पत्र,
अभिलेखों की सूची ।

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

पृ. क्रमांक :1946/2018/17/मेडि–1 भोपाल, दिनांक 26.03.2018

प्रतिलिपिः–

(1) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला जबलपुर की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि डॉ. शीनू सलूजा, चिकित्सा अधिकारी को उनके अंतिम पदस्थापना स्थल अथवा सेवा अभिलेख में उपलब्ध निवास के पते पर तामील करायें। यदि पत्र की व्यक्तिगत तामिली संभव न हो सके तो इसे अंतिम पदस्थापना स्थल या स्थाई निवास स्थल पर चस्पा कर तामिली करायें तथा तामिली प्रतिवेदन संलग्न पत्रक अनुसार अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

:: आरोप–पत्र ::

डॉ. शीनू सलूजा, चिकित्सा अधिकारी, रानी दुर्गावती चिकित्सालय, जबलपुर के विरूद्ध मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 14 (3) के अंतर्गत निम्न आरोप अधिरोपित किए जाते हैं :–

आरोप कमांक –1

यह कि आप डॉ. शीनू सलूजा दिनांक 25.05.2016 से निरंतर बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पायी गयी।

आरोप कमांक –2

यह कि आप अपने पदस्थापना स्थल पर नियमित एवं निर्धारित समय पर उपस्थित नहीं होती है।

इस प्रकार आप अपने पदीय दायित्वों का उचित प्रकार निर्वहन न कर मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम (1) (i),(ii),(iii) तथा नियम 7 का उल्लंघन कर अपने कार्य के प्रति कर्तव्य परायण एवं संनिष्ठ नहीं रहते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गयी है।

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

:: अभिकथन पत्र ::

डॉ. शीनू सलूजा, चिकित्सा अधिकारी, रानी दुर्गावती चिकित्सालय, जबलपुर, मध्य प्रदेश के विरूद्ध मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 14 (3) लगाए गए आरोपों के समर्थन में विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है :–

आरोप कमांक 1 के लिये :–

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला जबलपुर के पत्र क्रमांक/विज्ञप्त/2018/2083, दिनांक 09.03.2018 अनुसार आप दिनांक 25.05.2016 से निरंतर बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हो गयी है। आपका यह कृत्य शासकीय सेवक के लिए निर्धारित आचरण के अनुरूप न होकर दुराचरण की श्रेणी में आता है।

आरोप कमांक 2 के लिये :–

आपकी पदस्थापना रानी दुर्गावती चिकित्सालय, जबलपुर में आम जनता को उचित सेवाऐं उपलब्ध कराने के लिये करते हुए आपसे यह अपेक्षा की गई थी कि आप अपने कर्तव्य स्थल पर नियमित एवं समय पर उपस्थित होकर अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन करेंगी, परन्तु आप दिनांक 25.05.2016 से निरंतर अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पायी गयी।

इस प्रकार आपका उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 उपनियम (1) (i),(ii),(iii) तथा सहपठित नियम 7 के अनुरूप न होकर दुराचरण की श्रेणी में आता हैं। इस प्रकार आपने उक्त नियमों का पालन न कर अपने कार्य के प्रति संनिष्ठ एवं कर्तव्यपरायण न रहते हुए अपने आपको अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बना लिया है।

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

:: अभिलेखों की सूची ::

3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला जबलपुर की ओर उनके पत्र क्रमांक/विज्ञप्त/2018/2083 दिनांक 09.03.2018 के संदर्भ में।

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

तामीली प्रतिवेदन

कार्यालय, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से प्राप्त सूचना पत्र क्रमांक ..... दिनांक ..... जो लम्बी अवधि से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित डॉ. शीनू सलूजा, चिकित्सा अधिकारी को जारी किया गया है, की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला जबलपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई ।

साक्षीगण:

1. .....

.....

2. .....

.....

(कार्या. प्रभारी के हस्ता एवं नाम)

जिला .....

तामीली प्रतिवेदन

सिविल अस्पताल, सिहोरा जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश से लम्बी अवधि से अवैधानिक रूप से अनुपस्थित रहने बाबत् सूचना पत्र क्रमांक .... दिनांक..... डॉ. शीनू सलूजा, चिकित्सा अधिकारी के अवासीय पते पर निम्न गवाहों के समक्ष तामील करवाया गया /मकान पर चस्पा किया गया ।

---

1. .....
   गवाह का नाम व हस्ताक्षर

   .....
   (व्यक्तिगत तामीली की दशा में प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर)

2. .....
   गवाह का नाम व हस्ताक्षर

   .....
   (व्यक्तिगत तामीली करवाने वाले /चस्पा करने वाले के हस्ताक्षर)

3. .....
   गवाह का नाम व हस्ताक्षर

4. .....
   गवाह का नाम व हस्ताक्षर

5. .....
   गवाह का नाम व हस्ताक्षर

प्रतिहस्ताक्षरित

.....

(कार्या. प्रभारी के हस्ताक्षर)

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय–भोपाल

क्रमांक :19-43 /2018/17/मेडि–1 भोपाल, दिनांक .03.2018

प्रति,

डॉ. सुनीता सिंह
चिकित्सा अधिकारी,
सिविल अस्पताल, सिहोरा,
जिला जबलपुर (म.प्र.)

विषयः– कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित अधिकारी के विरूद्ध विभागीय जांच– डॉ. सुनीता सिंह, चिकित्सा अधिकारी, सिविल अस्पताल, सिहोरा जिला जबलपुर (म.प्र.)

–00–

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता हैं कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम–1966 के अन्तर्गत आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का प्रस्ताव है। जिसका उल्लेख संलग्न आरोप–पत्र में दिया गया है। अभिकथन जिस पर आरोप आधारित हैं, उसका विवरण संलग्न अभिकथन पत्र में दिया गया है। आरोप पत्र, अभिकथन पत्र की प्रति संलग्न है। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड़ पर चस्पा की गई है ।

2. आपसे इस सूचना के द्वारा यह अपेक्षा की जाती हैं कि आप इस पत्र के मिलने के 15 दिवस के अंदर अपना प्रतिवाद उत्तर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजते हुए बतायें कि :–

(अ) क्या आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहती हैं ?

(ब) यदि आप अपने बचाव पक्ष में किसी गवाह आदि का नाम देना चाहतीं हैं तो उन गवाहों की सूची पूर्ण पते सहित भेजें।

(स) यदि आप अपने बचाव पक्ष में किन्हीं अभिलेखों को प्रस्तुत करना चाहती हैं तो उन अभिलेखों की सूची विस्तृत जानकारी के साथ प्रस्तुत करें।

(द) यदि आप आरोप–पत्र आदि के साथ संलग्न अभिलेखों की सूची में दर्शित अभिलेखों को देखना चाहती हैं तो आप किसी भी कार्य दिवस में देखें। यह कार्य पत्र के प्राप्त होने के 10 दिवस के अंदर समाप्त कर दिया जाये ।

3. आपको यह भी सूचित किया जाता हैं कि यदि आपके बचाव पक्ष का लिखित प्रतिवाद उत्तर नियत समयावधि अर्थात् 15 दिवस में प्राप्त नहीं होता है तो आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न :– आरोप–पत्र, अभिकथन पत्र,
अभिलेखों की सूची ।

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

पृ. क्रमांक :19-43/2018/17/मेडि–1 भोपाल, दिनांक 24.03.2018

प्रतिलिपि:–

(1) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला जबलपुर की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि डॉ. सुनीता सिंह को उनके अंतिम पदस्थापना स्थल अथवा सेवा अभिलेख में उपलब्ध निवास के पते पर तामील करायें। यदि पत्र की व्यक्तिगत तामिली संभव न हो सके तो इसे अंतिम पदस्थापना स्थल या स्थाई निवास स्थल पर चस्पा कर तामिली करायें तथा तामिली प्रतिवेदन संलग्न पत्रक अनुसार अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

:: आरोप–पत्र ::

डॉ. सुनीता सिंह, चिकित्सा अधिकारी, सिविल अस्पताल, सिहोरा जिला जबलपुर के विरूद्ध मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 14 (3) के अंतर्गत निम्न आरोप अधिरोपित किए जाते हैं :–

आरोप कमांक –1

यह कि आप डॉ. सुनीता सिंह दिनांक 13.06.2017 से निरंतर बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पायी गयी।

आरोप कमांक –2

यह कि आप अपने पदस्थापना स्थल पर नियमित एवं निर्धारित समय पर उपस्थित नहीं होती है।

इस प्रकार आप अपने पदीय दायित्वों का उचित प्रकार निर्वहन न कर मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम (1) (i),(ii),(iii) तथा नियम 7 का उल्लंघन कर अपने कार्य के प्रति कर्तव्य परायण एवं संनिष्ठ नहीं रहते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गयी है।

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

:: अभिकथन पत्र ::

डॉ. सुनीता सिंह, चिकित्सा अधिकारी, सिविल अस्पताल, सिहोरा जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश के विरूद्ध मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 14 (3) लगाए गए आरोपों के समर्थन में विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है :–

आरोप कमांक 1 के लिये :–

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला जबलपुर के पत्र क्रमांक/विज्ञप्त/2018/1580, दिनांक 21.02.2018 अनुसार आप दिनांक 13.06.2017 से निरंतर बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हो गयी है। आपका यह कृत्य शासकीय सेवक के लिए निर्धारित आचरण के अनुरूप न होकर दुराचरण की श्रेणी में आता है।

आरोप कमांक 2 के लिये :–

आपकी पदस्थापना सिविल अस्पताल, सिहोरा जिला जबलपुर में आम जनता को उचित सेवाऐं उपलब्ध कराने के लिये करते हुए आपसे यह अपेक्षा की गई थी कि आप अपने कर्तव्य स्थल पर नियमित एवं समय पर उपस्थित होकर अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन करेंगी, परन्तु आप दिनांक 13.06.2017 से निरंतर अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पायी गयी।

इस प्रकार आपका उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 उपनियम (1) (i),(ii),(iii) तथा सहपठित नियम 7 के अनुरूप न होकर दुराचरण की श्रेणी में आता हैं। इस प्रकार आपने उक्त नियमों का पालन न कर अपने कार्य के प्रति संनिष्ठ एवं कर्तव्यपरायण न रहते हुए अपने आपको अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बना लिया है।

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

:: अभिलेखों की सूची ::

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला जबलपुर की ओर उनके पत्र क्रमांक/विज्ञप्त/2018/1580 दिनांक 21.02.2018 के संदर्भ में।

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

तामीली प्रतिवेदन

कार्यालय, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से प्राप्त सूचना पत्र कमांक ..... दिनांक ..... जो लम्बी अवधि से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित डॉ. सुनीता सिंह, चिकित्सा अधिकारी को जारी किया गया है, की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला जबलपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई ।

साक्षीगण:

1. .....

.....

2. .....

.....

(कार्या. प्रभारी के हस्ता एवं नाम)

जिला .....

तामीली प्रतिवेदन

सिविल अस्पताल, सिहोरा जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश से लम्बी अवधि से अवैधानिक रूप से अनुपस्थित रहने बाबत् सूचना पत्र क्रमांक .... दिनांक..... डॉ. सुनीता सिंह, चिकित्सा अधिकारी के अवासीय पते पर निम्न गवाहों के समक्ष तामील करवाया गया /मकान पर चस्पा किया गया ।

---

1. .....
   गवाह का नाम व हस्ताक्षर

   .....
   (व्यक्तिगत तामीली की दशा में प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर)

2. .....
   गवाह का नाम व हस्ताक्षर

   .....
   (व्यक्तिगत तामीली करवाने वाले /चस्पा करने वाले के हस्ताक्षर)

3. .....
   गवाह का नाम व हस्ताक्षर

4. .....
   गवाह का नाम व हस्ताक्षर

5. .....
   गवाह का नाम व हस्ताक्षर

प्रतिहस्ताक्षरित

.....

(कार्या. प्रभारी के हस्ताक्षर)

मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मंत्रालय–भोपाल

क्रमांक : मेडि–/65/2017/3198 भोपाल, दिनांक ~~12.10.2017~~ 23-1-18

प्रति,

डॉ. ज्योति बाला पन्द्रे
चिकित्सा अधिकारी
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लखनादौन
जिला– सिवनी

विषयः– कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित अधिकारी के विरूद्ध विभागीय जांच – डॉ. ज्योति बाला पन्द्रे, चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लखनादौन, जिला– सिवनी ।

–00–

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता हैं कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम–1966 के अन्तर्गत आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का प्रस्ताव है। जिसका उल्लेख संलग्न आरोप–पत्र में दिया गया है । अभिकथन जिस पर आरोप आधारित हैं, उसका विवरण संलग्न अभिकथन पत्र में दिया गया है । आरोप पत्र, अभिकथन पत्र की प्रति संलग्न है । एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड़ पर चस्पा की गई है ।

2. आपसे इस सूचना के द्वारा यह अपेक्षा की जाती हैं कि आप इस पत्र के मिलने के 15 दिवस के अंदर अपना प्रतिवाद उत्तर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजते हुए बतायें कि :–

(अ) क्या आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहती हैं ?

(ब) यदि आप अपने बचाव पक्ष में किसी गवाह आदि का नाम देना चाहती हैं तो उन गवाहों की सूची पूर्ण पते सहित भेजें।

(स) यदि आप अपने बचाव पक्ष में किन्हीं अभिलेखों को प्रस्तुत करना चाहती हैं तो उन अभिलेखों की सूची विस्तृत जानकारी के साथ प्रस्तुत करें।

(द) यदि आप आरोप–पत्र आदि के साथ संलग्न अभिलेखों की सूची में दर्शित अभिलेखों को देखना चाहती हैं तो आप किसी भी कार्य दिवस में देखें। यह कार्य पत्र के प्राप्त होने के 10 दिवस के अंदर समाप्त कर दिया जाये ।

3. आपको यह भी सूचित किया जाता हैं कि यदि आपके बचाव पक्ष का लिखित प्रतिवाद उत्तर नियत समयावधि अर्थात् 15 दिवस में प्राप्त नहीं होता है तो आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न :– आरोप–पत्र, अभिकथन पत्र,
अभिलेखों की सूची ।

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

पृष्ठा. क्र. : मेडि–166/2017/3198 दिनांक ~~12.10.2017~~ 23-1-18

प्रतिलिपिः–

(1) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिवनी की ओर उनके पत्र क्रमांक स्थापना विज्ञप्त/2017/6112, दिनांक 21.08.2017 के अनुपालन में प्रेषित कर अनुरोध है कि डॉ. ज्योति बाला पन्द्रे को उनके अंतिम पदस्थापना स्थल अथवा सेवा अभिलेख में उपलब्ध निवास के पते पर तामील करायें । यदि पत्र की व्यक्तिगत तामीली संभव न हो सके तो इसे अंतिम पदस्थापना स्थल या स्थाई निवास स्थल पर चस्पा कर तामीली करायें तथा तामीली प्रतिवेदन संलग्न पत्रक अनुसार अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें ।

सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

:: आरोप–पत्र ::

डॉ. ज्योति बाला पन्द्रे, चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लखनादौन, जिला– सिवनी के विरूद्ध मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 14 (3) के अंतर्गत निम्न आरोप अधिरोपित किए जाते हैं :–

आरोप कमांक –1

यह कि आप डॉ. ज्योति बाला पन्द्रे दिनांक 30.08.2013 से निरंतर बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पायी गईं।

आरोप कमांक –2

यह कि आप अपने पदस्थापना स्थल पर नियमित एवं निर्धारित समय पर उपस्थित नहीं होती हैं ।

आरोप कमांक –3

यह कि आप अपने नियत मुख्यालय पर निवास नहीं करती हैं ।

इस प्रकार आप अपने पदीय दायित्वों का उचित प्रकार निर्वहन न कर मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम (1) (i),(ii),(iii) तथा नियम 7 का उल्लंघन कर अपने कार्य के प्रति कर्तव्य परायण एवं संनिष्ठ नहीं रहते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गई हैं ।

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

:: अभिकथन पत्र ::

डॉ. ज्योति बाला पन्द्रे, चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लखनादौन के विरूद्ध मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 14 (3) लगाए गए आरोपों के समर्थन में विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है :–

आरोप कमांक 1 के लिये :–

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिवनी के पत्र क्रमांक स्थापना विज्ञप्त/2017/6112, दिनांक 21.08.2017 अनुसार आप दिनांक 30.08.2013 से निरंतर बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हो गई हैं । आपका यह कृत्य शासकीय सेवक के लिए निर्धारित आचरण के अनुरूप न होकर दुराचरण की श्रेणी में आता है।

आरोप कमांक 2 के लिये :–

आपकी पदस्थापना सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लखनादौन में आम जनता को उचित सेवाऐं उपलब्ध कराने के लिये करते हुए आपसे यह अपेक्षा की गई थी कि आप अपने कर्तव्य स्थल पर नियमित एवं समय पर उपस्थित होकर अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन करेंगी, परन्तु आप दिनांक 30.08.2013 से निरंतर अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पायी गईं।

आरोप कमांक 3 के लिये :–

यह कि आप अपने नियत मुख्यालय पर निवास नहीं करती हैं ।

इस प्रकार आपका उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 उपनियम (1) (i),(ii),(iii) तथा सहपठित नियम 7 के अनुरूप न होकर दुराचरण की श्रेणी में आता हैं। इस प्रकार आपने उक्त नियमों का पालन न कर अपने कार्य के प्रति संनिष्ठ एवं कर्तव्यपरायण न रहते हुए अपने आपको अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बना लिया है।

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

: अभिलेखों की सूची ::

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिवनी का पत्र क्रमांक स्थापना विज्ञप्त/2017/6112, दिनांक 21.08.2017.

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

तामीली प्रतिवेदन

कार्यालय सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से प्राप्त सूचना पत्र कमांक ..... दिनांक ..... जो लम्बी अवधि से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित डॉ. ज्योति बाला पन्द्रे, चिकित्सा अधिकारी को जारी किया गया है, की प्रति कार्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लखनादौन, जिला– सिवनी के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई ।

साक्षीगणः

1. .....
   .....

.....
(कार्या. प्रभारी के हस्ता एवं नाम)
जिला .....

2. .....

तामीली प्रतिवेदन

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लखनादौन, जिला– सिवनी से लम्बी अवधि से अवैधानिक रूप से अनुपस्थित रहने बाबत् सूचना पत्र कमांक .....

.....दिनांक.....

डॉ. ज्योति बाला पन्द्रे, चिकित्सा अधिकारी के अवासीय पते पर निम्न गवाहों के समक्ष तामील करवाया गया /मकान पर चस्पा किया गया ।

---

1. .....
   गवाह का नाम व हस्ताक्षर

.....
(व्यक्तिगत तामीली की दशा में प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर)

2. .....
   गवाह का नाम व हस्ताक्षर

.....
(व्यक्तिगत तामीली करवाने वाले /चस्पा करने वाले के हस्ताक्षर)

3. .....
   गवाह का नाम व हस्ताक्षर

4. .....
   गवाह का नाम व हस्ताक्षर

5. .....
   गवाह का नाम व हस्ताक्षर

प्रतिहस्ताक्षरित

.....

(कार्या. प्रभारी के हस्ताक्षर)

1-3

कार्यालय
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला–सिवनी म0प्र0

☎ दूरभाष :– 07692–220323 ईमेल :– cmhoseo@nic.in

कमांक/स्थापना विज्ञप्त/2017/6112 सिवनी दिनॉक 21/08/2017

प्रति,

श्री कविन्द्र कियावत
सचिव
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय भोपाल

विषयः:– जिला स्तर पर विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं में पदस्थ अमले की जानकारी उपलब्ध कराना ।

संदर्भ :– आपका पत्र कमांक/1815/सचिव/लोस्वापक/2017/ भोपाल दिनॉक 28.07.2017

———000———

महोदय

जिला सिवनी में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिवनी के अंतर्गत 03 चिकित्सा अधिकारी वर्तमान तक अनाधिकृत अनुपस्थित है जिन्हें शासन स्तर से अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए दिनॉक 21.02.2017 को नोटिस जारी किया गया था । वर्तमान में कार्यवाही प्रचलन में है । इनमें से डा0 विनोद पिल्लई जो कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुडारी में पदस्थ थे वर्ष 2010 से ही केरल चले गये है तथा उन्होने सेवायें प्रदान नही करने की इच्छा जाहिर की है और सेवा से त्यागपत्र प्रस्तुत किया है जिसे आयुक्त स्वास्थ्य को भेजा जा चुका है ।

संलग्न :– जानकारी निर्धारित प्रपत्र में

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
सिवनी M.P

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला–सिवनी

अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित विषेशज्ञो /चिकित्सा अधिकारियों के विरूद्ध प्रचलित/प्रस्तावित अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानकारी

स0क0	अधिकारी का पूरा नाम	पदनाम	अंतिम पदस्थापना	कब से अनुपस्थित	अनुशासनात्मक कार्यवाही यदि प्रारंभ हुई है तो कब से	अनुषासनात्मक कार्यवाही यदि प्रारंभ करना प्रस्तावित या विचारधीन है तो कब से	अनशासनात्मक कार्यवाही का प्रकरण की वर्तमान स्थिति	टिप्पणी
1	डा0 ज्योति बाला पन्द्रे	मेडिकल आफीसर	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लखनादौन	30.08.13	21.02.17	निरंक	प्रचलन में	
2	डा0 दर्शना जैन	मेडिकल आफीसर	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र केवलारी	18.05.11	21.02.17	निरंक	प्रचलन में	
3	डा0 विनोद पिल्लई	मेडिकल आफीसर	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुडारी सी0एच0सी0 धनौरा	26.02.01	21.02.17	निरंक	प्रचलन में	त्याग पत्र प्रस्तुत किया है जिसे शासन को प्रेशित किया है स्वीकृत किया जाना शेष है

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
सिवनी

Chief Medical & Health Officer
Seoni M.P

मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मंत्रालय–भोपाल

क्रमांक : मेडि–167/2017/3196 भोपाल, दिनांक ~~12.10.2017~~. 23-1-18

प्रति,

डॉ. दर्शना जैन
चिकित्सा अधिकारी
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, केवलारी
जिला – सिवनी

विषयः– कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित अधिकारी के विरूद्ध विभागीय जांच – डॉ. दर्शना जैन, चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, केवलारी, जिला – सिवनी ।

–00–

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता हैं कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम–1966 के अन्तर्गत आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का प्रस्ताव है। जिसका उल्लेख संलग्न आरोप–पत्र में दिया गया है । अभिकथन जिस पर आरोप आधारित हैं, उसका विवरण संलग्न अभिकथन पत्र में दिया गया है । आरोप पत्र, अभिकथन पत्र की प्रति संलग्न है । एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड़ पर चस्पा की गई है ।

2. आपसे इस सूचना के द्वारा यह अपेक्षा की जाती हैं कि आप इस पत्र के मिलने के 15 दिवस के अंदर अपना प्रतिवाद उत्तर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजते हुए बतायें कि :–

(अ) क्या आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहती हैं ?

(ब) यदि आप अपने बचाव पक्ष में किसी गवाह आदि का नाम देना चाहती हैं तो उन गवाहों की सूची पूर्ण पते सहित भेजें।

(स) यदि आप अपने बचाव पक्ष में किन्हीं अभिलेखों को प्रस्तुत करना चाहती हैं तो उन अभिलेखों की सूची विस्तृत जानकारी के साथ प्रस्तुत करें।

(द) यदि आप आरोप–पत्र आदि के साथ संलग्न अभिलेखों की सूची में दर्शित अभिलेखों को देखना चाहती हैं तो आप किसी भी कार्य दिवस में देखें। यह कार्य पत्र के प्राप्त होने के 10 दिवस के अंदर समाप्त कर दिया जाये ।

3. आपको यह भी सूचित किया जाता हैं कि यदि आपके बचाव पक्ष का लिखित प्रतिवाद उत्तर नियत समयावधि अर्थात् 15 दिवस में प्राप्त नहीं होता है तो आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न :– आरोप–पत्र, अभिकथन पत्र,
अभिलेखों की सूची ।

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

पृष्ठा. क्र. : मेडि–168/2017/3196

दिनांक ~~12.10.2017~~ 23-1-18

प्रतिलिपिः–

(1) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिवनी की ओर उनके पत्र क्रमांक स्थापना विज्ञप्त/2017/6112, दिनांक 21.08.2017 के अनुपालन में प्रेषित कर अनुरोध है कि डॉ. दर्शना जैन को उनके अंतिम पदस्थापना स्थल अथवा सेवा अभिलेख में उपलब्ध निवास के पते पर तामील करायें । यदि पत्र की व्यक्तिगत तामीली संभव न हो सके तो इसे अंतिम पदस्थापना स्थल या स्थाई निवास स्थल पर चस्पा कर तामीली करायें तथा तामीली प्रतिवेदन संलग्न पत्रक अनुसार अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें ।

सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

:: आरोप–पत्र ::

डॉ. दर्शना जैन, चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, केवलारी, जिला – सिवनी के विरूद्ध मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 14 (3) के अंतर्गत निम्न आरोप अधिरोपित किए जाते हैं :–

आरोप कमांक –1

यह कि आप डॉ. दर्शना जैन दिनांक 19.05.2011 से निरंतर बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पायी गईं।

आरोप कमांक –2

यह कि आप अपने पदस्थापना स्थल पर नियमित एवं निर्धारित समय पर उपस्थित नहीं होती हैं ।

आरोप कमांक –3

यह कि आप अपने नियत मुख्यालय पर निवास नहीं करती हैं ।

इस प्रकार आप अपने पदीय दायित्वों का उचित प्रकार निर्वहन न कर मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम (1) (i),(ii),(iii) तथा नियम 7 का उल्लंघन कर अपने कार्य के प्रति कर्तव्य परायण एवं संनिष्ठ नहीं रहते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गई हैं ।

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

:: अभिकथन पत्र ::

डॉ. दर्शना जैन, चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, केवलारी के विरूद्ध मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 14 (3) लगाए गए आरोपों के समर्थन में विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है :–

आरोप कमांक 1 के लिये :–

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिवनी के पत्र क्रमांक स्थापना विज्ञप्त/2017/6112, दिनांक 21.08.2017 अनुसार आप दिनांक 19.05.2011 से निरंतर बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हो गई हैं । आपका यह कृत्य शासकीय सेवक के लिए निर्धारित आचरण के अनुरूप न होकर दुराचरण की श्रेणी में आता है।

आरोप कमांक 2 के लिये :–

आपकी पदस्थापना सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, केवलारी में आम जनता को उचित सेवाऐं उपलब्ध कराने के लिये करते हुए आपसे यह अपेक्षा की गई थी कि आप अपने कर्तव्य स्थल पर नियमित एवं समय पर उपस्थित होकर अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन करेंगी , परन्तु आप दिनांक 19.05.2011 से निरंतर अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पायी गईं।

आरोप कमांक 3 के लिये :–

यह कि आप अपने नियत मुख्यालय पर निवास नहीं करती हैं ।

इस प्रकार आपका उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 उपनियम (1) (i),(ii),(iii) तथा सहपठित नियम 7 के अनुरूप न होकर दुराचरण की श्रेणी में आता हैं। इस प्रकार आपने उक्त नियमों का पालन न कर अपने कार्य के प्रति संनिष्ठ एवं कर्तव्यपरायण न रहते हुए अपने आपको अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बना लिया है।

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

: अभिलेखों की सूची ::

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिवनी का पत्र क्रमांक स्थापना विज्ञप्त/2017/6112, दिनांक 21.08.2017.

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

तामीली प्रतिवेदन

कार्यालय सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से प्राप्त सूचना पत्र क्रमांक ..... दिनांक ..... जो लम्बी अवधि से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित डॉ. दर्शना जैन, चिकित्सा अधिकारी को जारी किया गया है, की प्रति कार्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, केवलारी, जिला – सिवनी के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई ।

साक्षीगणः

1. .....
   .....

.....
(कार्या. प्रभारी के हस्ता एवं नाम)
जिला .....

2. .....

तामीली प्रतिवेदन

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, केवलारी, जिला – सिवनी से लम्बी अवधि से अवैधानिक रूप से अनुपस्थित रहने बाबत् सूचना पत्र कमांक .....

.....दिनांक.....

डॉ. दर्शना जैन, चिकित्सा अधिकारी के अवासीय पते पर निम्न गवाहों के समक्ष तामील करवाया गया /मकान पर चस्पा किया गया ।

---

1. ..... गवाह का नाम व हस्ताक्षर

2. ..... गवाह का नाम व हस्ताक्षर

3. ..... गवाह का नाम व हस्ताक्षर

4. ..... गवाह का नाम व हस्ताक्षर

5. ..... गवाह का नाम व हस्ताक्षर

..... (व्यक्तिगत तामीली की दशा में प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर)

..... (व्यक्तिगत तामीली करवाने वाले /चस्पा करने वाले के हस्ताक्षर)

प्रतिहस्ताक्षरित

.....

(कार्या. प्रभारी के हस्ताक्षर)

कार्यालय
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला–सिवनी म0प्र0

☎ दूरभाष :– 07692–220323 ईमेल :– cmhoseo@nic.in

कमांक/स्थापना विज्ञप्त/2017/6112 सिवनी दिनॉक 21/08/2017

प्रति,

श्री कविन्द्र कियावत
सचिव
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय भोपाल.

विषयः– जिला स्तर पर विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं में पदस्थ अमले की जानकारी उपलब्ध कराना ।

संदर्भ :– आपका पत्र कमांक/1815/सचिव/लोस्वापक/2017/ भोपाल दिनॉक 28.07.2017

———000———

महोदय

जिला सिवनी में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिवनी के अंतर्गत 03 चिकित्सा अधिकारी वर्तमान तक अनाधिकृत अनुपस्थित है जिन्हें शासन स्तर से अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए दिनॉक 21.02.2017 को नोटिस जारी किया गया था । वर्तमान में कार्यवाही प्रचलन में है । इनमें से डा0 विनोद पिल्लई जो कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुडारी में पदस्थ थे वर्ष 2010 से ही केरल चले गये है तथा उन्होने सेवायें प्रदान नही करने की इच्छा जाहिर की है और सेवा से त्यागपत्र प्रस्तुत किया है जिसे आयुक्त स्वास्थ्य को भेजा जा चुका है ।

संलग्न :– जानकारी निर्धारित प्रपत्र में

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
सिवनी

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला–सिवनी

अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित विषेशज्ञो /चिकित्सा अधिकारियों के विरूद्ध प्रचलित/प्रस्तावित अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानकारी

स0क0	अधिकारी का पूरा नाम	पदनाम	अंतिम पदस्थापना	कब से अनुपस्थित	अनुशासनात्मक कार्यवाही यदि प्रारंभ हुई है तो कब से	अनुषासनात्मक कार्यवाही यदि प्रारंभ करना प्रस्तावित या विचारधीन है तो कब से	अनशासनात्मक कार्यवाही का प्रकरण की वर्तमान स्थिति	टिप्पणी
1	डा0 ज्योति बाला पन्द्रे	मेडिकल आफीसर	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लखनादौन	30.08.13	21.02.17	निरंक	प्रचलन में	
2	डा0 दर्शना जैन	मेडिकल आफीसर	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र केवलारी	18.05.11	21.02.17	निरंक	प्रचलन में	
3	डा0 विनोद पिल्लई	मेडिकल आफीसर	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुडारी सी0एच0सी0 धनौरा	26.02.01	21.02.17	निरंक	प्रचलन में	त्याग पत्र प्रस्तुत किया है जिसे शासन को प्रेशित किया है स्वीकृत किया जाना शेष है

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मंत्रालय–भोपाल

क्रमांक : मेडि–169/2017/3197 भोपाल, दिनांक ~~12.10.2017~~. 23-1-18

प्रति,

डॉ. विनोद पिल्लई
चिकित्सा अधिकारी
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुड़ारी, सी.एच.सी., धनौरा
जिला सिवनी

विषयः– कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित अधिकारी के विरूद्ध विभागीय जांच – डॉ. विनोद पिल्लई , चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुड़ारी, सी.एच.सी., धनौरा, जिला सिवनी ।

–00–

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता हैं कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम–1966 के अन्तर्गत आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का प्रस्ताव है। जिसका उल्लेख संलग्न आरोप–पत्र में दिया गया है । अभिकथन जिस पर आरोप आधारित हैं, उसका विवरण संलग्न अभिकथन पत्र में दिया गया है । आरोप पत्र, अभिकथन पत्र की प्रति संलग्न है । एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड़ पर चस्पा की गई है ।

2. आपसे इस सूचना के द्वारा यह अपेक्षा की जाती हैं कि आप इस पत्र के मिलने के 15 दिवस के अंदर अपना प्रतिवाद उत्तर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजते हुए बतायें कि :–

(अ) क्या आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं ?

(ब) यदि आप अपने बचाव पक्ष में किसी गवाह आदि का नाम देना चाहते हैं तो उन गवाहों की सूची पूर्ण पते सहित भेजें।

(स) यदि आप अपने बचाव पक्ष में किन्हीं अभिलेखों को प्रस्तुत करना चाहते हैं तो उन अभिलेखों की सूची विस्तृत जानकारी के साथ प्रस्तुत करें।

(द) यदि आप आरोप–पत्र आदि के साथ संलग्न अभिलेखों की सूची में दर्शित अभिलेखों को देखना चाहते हैं तो आप किसी भी कार्य दिवस में देखें। यह कार्य पत्र के प्राप्त होने के 10 दिवस के अंदर समाप्त कर दिया जाये ।

3. आपको यह भी सूचित किया जाता हैं कि यदि आपके बचाव पक्ष का लिखित प्रतिवाद उत्तर नियत समयावधि अर्थात् 15 दिवस में प्राप्त नहीं होता है तो आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न :– आरोप–पत्र, अभिकथन पत्र,
अभिलेखों की सूची ।

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

पृष्ठा. क्र. : मेडि–170/2017/3197 दिनांक ~~12.10.2017~~ 23-1-18

प्रतिलिपिः–

(1) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिवनी की ओर उनके पत्र क्रमांक स्थापना विज्ञप्त/2017/6112, दिनांक 21.08.2017 के अनुपालन में प्रेषित कर अनुरोध है कि डॉ. विनोद पिल्लई को उनके अंतिम पदस्थापना स्थल अथवा सेवा अभिलेख में उपलब्ध निवास के पते पर तामील करायें । यदि पत्र की व्यक्तिगत तामीली संभव न हो सके तो इसे अंतिम पदस्थापना स्थल या स्थाई निवास स्थल पर चस्पा कर तामीली करायें तथा तामीली प्रतिवेदन संलग्न पत्रक अनुसार अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें ।

सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

:: आरोप–पत्र ::

डॉ. विनोद पिल्लई , चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुड़ारी, सी.एच.सी., धनौरा, जिला सिवनी के विरूद्ध मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 14 (3) के अंतर्गत निम्न आरोप अधिरोपित किए जाते हैं :–

आरोप क्रमांक –1

यह कि आप डॉ. विनोद पिल्लई दिनांक 26.02.2001 से निरंतर बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाये गयें।

आरोप क्रमांक –2

यह कि आप अपने पदस्थापना स्थल पर नियमित एवं निर्धारित समय पर उपस्थित नहीं होते हैं ।

आरोप क्रमांक –3

यह कि आप अपने नियत मुख्यालय पर निवास नहीं करते हैं ।

इस प्रकार आप अपने पदीय दायित्वों का उचित प्रकार निर्वहन न कर मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम (1) (i),(ii),(iii) तथा नियम 7 का उल्लंघन कर अपने कार्य के प्रति कर्तव्य परायण एवं संनिष्ठ नहीं रहते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गये हैं ।

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

:: अभिकथन पत्र ::

डॉ. विनोद पिल्लई , चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुड़ारी, सी.एच.सी., धनौरा के विरूद्ध मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 14 (3) लगाए गए आरोपों के समर्थन में विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है :–

आरोप कमांक 1 के लिये :–

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिवनी के पत्र क्रमांक स्थापना विज्ञप्त/2017/6112, दिनांक 21.08.2017 अनुसार आप दिनांक 26.02.2001 से निरंतर बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हो गये हैं । आपका यह कृत्य शासकीय सेवक के लिए निर्धारित आचरण के अनुरूप न होकर दुराचरण की श्रेणी में आता है।

आरोप कमांक 2 के लिये :–

आपकी पदस्थापना प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुड़ारी, सी.एच.सी., धनौरा में आम जनता को उचित सेवाऐं उपलब्ध कराने के लिये करते हुए आपसे यह अपेक्षा की गई थी कि आप अपने कर्तव्य स्थल पर नियमित एवं समय पर उपस्थित होकर अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन करेंगे , परन्तु आप दिनांक 26.02.2001 से निरंतर अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाये गयें।

आरोप कमांक 3 के लिये :–

यह कि आप अपने नियत मुख्यालय पर निवास नहीं करते हैं ।

इस प्रकार आपका उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 उपनियम (1) (i),(ii),(iii) तथा सहपठित नियम 7 के अनुरूप न होकर दुराचरण की श्रेणी में आता हैं। इस प्रकार आपने उक्त नियमों का पालन न कर अपने कार्य के प्रति संनिष्ठ एवं कर्तव्यपरायण न रहते हुए अपने आपको अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बना लिया है।

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

: अभिलेखों की सूची ::

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिवनी का पत्र क्रमांक स्थापना विज्ञप्त/2017/6112, दिनांक 21.08.2017.

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

तामीली प्रतिवेदन

कार्यालय सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से प्राप्त सूचना पत्र कमांक ..... दिनांक ..... जो लम्बी अवधि से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित डॉ. विनोद पिल्लई , चिकित्सा अधिकारी को जारी किया गया है, की प्रति कार्यालय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुड़ारी, सी.एच. सी., धनौरा, जिला सिवनी के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई ।

साक्षीगणः

1. .....
   .....

.....
(कार्या. प्रभारी के हस्ता एवं नाम)
जिला .....

2. .....

तामीली प्रतिवेदन

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुड़ारी, सी.एच.सी., धनौरा, जिला सिवनी से लम्बी अवधि से अवैधानिक रूप से अनुपस्थित रहने बाबत् सूचना पत्र क्रमांक .....

.....दिनांक.....

..... डॉ. विनोद पिल्लई , चिकित्सा अधिकारी के अवासीय पते पर निम्न गवाहों के समक्ष तामील करवाया गया /मकान पर चस्पा किया गया ।

---

1. .....
   गवाह का नाम व हस्ताक्षर

2. .....
   गवाह का नाम व हस्ताक्षर

3. .....
   गवाह का नाम व हस्ताक्षर

4. .....
   गवाह का नाम व हस्ताक्षर

5. .....
   गवाह का नाम व हस्ताक्षर

.....
(व्यक्तिगत तामीली की दशा में प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर)

.....
(व्यक्तिगत तामीली करवाने वाले /चस्पा करने वाले के हस्ताक्षर)

प्रतिहस्ताक्षरित

.....

(कार्या. प्रभारी के हस्ताक्षर)

कार्यालय
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला–सिवनी म0प्र0

☎ दूरभाष :– 07692–220323 ईमेल :– cmhoseo@nic.in

कमांक/स्थापना विज्ञप्त/2017/6112 सिवनी दिनॉक 21/08/2017

प्रति,

श्री कविन्द्र कियावत
सचिव
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय भोपाल.

विषयः– जिला स्तर पर विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं में पदस्थ अमले की जानकारी उपलब्ध कराना ।

संदर्भ :– आपका पत्र कमांक/1815/सचिव/लोस्वापक/2017/ भोपाल दिनॉक 28.07.2017

–––––000–––––

महोदय

जिला सिवनी में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिवनी के अंतर्गत 03 चिकित्सा अधिकारी वर्तमान तक अनाधिकृत अनुपस्थित है जिन्हें शासन स्तर से अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए दिनॉक 21.02.2017 को नोटिस जारी किया गया था । वर्तमान में कार्यवाही प्रचलन में है । इनमें से डा0 विनोद पिल्लई जो कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुडारी में पदस्थ थे वर्ष 2010 से ही केरल चले गये है तथा उन्होने सेवायें प्रदान नही करने की इच्छा जाहिर की है और सेवा से त्यागपत्र प्रस्तुत किया है जिसे आयुक्त स्वास्थ्य को भेजा जा चुका है ।

संलग्न :– जानकारी निर्धारित प्रपत्र में

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
सिवनी

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला–सिवनी

अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित विषेशज्ञो /चिकित्सा अधिकारियों के विरूद्ध प्रचलित/प्रस्तावित अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानकारी

स0क0	अधिकारी का पूरा नाम	पदनाम	अंतिम पदस्थापना	कब से अनुपस्थित	अनुशासनात्मक कार्यवाही यदि प्रारंभ हुई है तो कब से	अनुषासनात्मक कार्यवाही यदि प्रारंभ करना प्रस्तावित या विचारधीन है तो कब से	अनशासनात्मक कार्यवाही का प्रकरण की वर्तमान स्थिति	टिप्पणी
1	डा0 ज्योति बाला पन्द्रे	मेडिकल आफीसर	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लखनादौन	30.08.13	21.02.17	निरंक	प्रचलन में	
2	डा0 दर्शना जैन	मेडिकल आफीसर	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र केवलारी	18.05.11	21.02.17	निरंक	प्रचलन में	
3	डा0 विनोद पिल्लई	मेडिकल आफीसर	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुडारी सी0एच0सी0 धनौरा	26.02.01	21.02.17	निरंक	प्रचलन में	त्याग पत्र प्रस्तुत किया है जिसे शासन को प्रेशित किया है स्वीकृत किया जाना शेष है

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
सिवनी